छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर
===0===

कमांक F-17-50/2012/20-1 रायपुर, दिनांक : 07.08.2012.

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़ ।
2. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,**
   छत्तीसगढ़ ।

विषय :– मध्यान्ह भोजन योजना के तहत संचालनकर्ता समिति की नियुक्ति ।

---00---

यह देखा जा रहा है कि मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत शाला स्तर पर संचालनकर्ता एजेंसी के नियुक्ति के मामलों में कोई अतंरिम व्यवस्था न होने के कारण परिवेदित पक्षकारों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाऐं दायर की जाती है । इससे जहां एक ओर समय एवं धन की क्षति होती है, वहीं शाला स्तर पर योजना के संचालन में बाधा भी उत्पन्न होती है ।

2/– अतः विचारोपरांत मध्यान्ह भोजन योजना के तहत शाला स्तर पर संचालनकर्ता एजेंसी नियुक्त करने, उन्हें परिवर्तित करने तथा रसोईया सह-सहायक रखने के बारे में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

1. संचालनकर्ता समिति का निर्धारण :–

(1) मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन शाला स्तर पर यथा संभव महिला स्व–सहायता समूहों के द्वारा किया जावेगा । जहां स्व–सहायता समूह उपलब्ध न हो वहां योजना संचालन का कार्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य ग्राम स्तरीय संस्थाओं से किया जावेगा ।

(2) शाला स्तर पर संचालनकर्ता समिति का निर्धारण संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा किया जावेगा । पूर्व से कार्यरत समिति को यदि अनियमितता आदि के आधार पर दोषी पाया जाता है, तो जांच कर नियमानुसार अंतिम निर्णय लेने, पूर्व संस्था को परिवर्तित करने या नई समिति का निर्धारण करने का कार्य भी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा किया जावेगा । उक्त कार्यों के लिए एतद द्वारा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है ।

//2//

(3) अनुविभागीय अधिकारी के निर्णय से यदि कोई पक्षकार असंतुष्ट हो, तो परिवेक्षित पक्षकार के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध 45 दिन के भीतर जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जावेगा । ऐसे अभ्यावेदन पर जिला कलेक्टर के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

2. रसोईया सह–सहायक का निर्धारण :–

(1) प्रत्येक शाला में 25 छात्रों के लिये एक रसोईयां तथा 26 से 100 छात्रों पर एक अतिरिक्त रसोईयां की पात्रता होगी । जहां छात्र संख्या 100 से ज्यादा है, वहां प्रत्येक अतिरिक्त 100 छात्र के लिये एक अतिरिक्त रसोईयां की पात्रता होगी ।

(2) अशासकीय संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय किचन के माध्यम से संचालित शालाओं के लिए 150 छात्रों के लिए एक रसोईयां, 151 से 350 छात्रों के लिए 2 रसोईयां, 351 से 550 छात्रों के लिए 3 रसोईयां तथा 551से 750 छात्रों के लिए 4 रसोईयां की पात्रता होगी ।

(3) राज्य के भीतर शालाओं में रसोईयां का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है, अतः शालाओं में मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोईयां किसी भी स्थिति में शासकीय सेवक नहीं माने जावेंगे ।

(4) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक शाला में रसोईयां का निर्धारण संचालनकर्ता समिति के द्वारा किया जावेगा ।

(5) रसोईयों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय का भुगतान, विहित रीति से किया जावेगा ।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।

7/8/12

(एम.एन.राजूरकर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//3//

पृ.क्रमांक F-17-50/2012/20–1 रायपुर, दिनांक : 07.08.2012 .

प्रतिलिपि :–

1. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर उनके पत्र दिनांक 26.07.2012 तथा 06.08.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर ।
3. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर ।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ ।
7. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

7/8/12

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग